न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 88/2019 दर्ज तिथि : 11.06.2019

श्री सीताबाई पत्नि भंवरलाल जाति ब्राह्मण आयु 60 वर्ष निवासी बोराखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.

................प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता कालु भील उम्र वयस्क निवासी कुरेठा, तहसील भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।
2. नन्दलाल पिता खुमाण भील उम्र वयस्क निवासी कुरेठा, तहसील भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।
3. हेमराज पिता बाबरू मीणा उम्र वयस्क निवासी बम्बोरी हाल मुकाम बरडा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।
4. प्रभुलाल पिता किशना भील उम्र वयस्क निवासी बाडी तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।
5. भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़, राज.

................विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री लक्ष्मणसिंह सोलंकी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि : 29.09.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम बोराखेडी पटवार हल्का, बडोली माधोसिंह तहसील, निम्बाहेड़ा में प्रार्थिया के स्वामित्व व अधिपत्य शुदा आराजी नम्बर 849 रकबा 0.95 हैक्टेयर हैं जिसके पडोस दक्षिण दिशा में 1 से लेकर 4 विपक्षीगण, उत्तर दिशा में परमानन्द पाटीदार, पूर्व दिश में केशुराम [illegible] दिशा में भंवरलाल पिता तोलीराम ब्राह्मण की आराजियात के बीच स्थित है [illegible] पूर्व के नक्शे में बराबर आराजियात थी लेकिन सेटलमेन्ट के समय प्रार्थिया के पडोसी आराजी नम्बर 930/850 खातेदार मांगीलाल भील, आराजी नम्बर 931/850 खातेदार नन्दलाल पिता खुमान भील, आराजी नम्बर 927/850 खातेदार हेमराज पिता बाबरू मीणा, आराजी नम्बर 929/850 प्रभुलाल पिता किशना भील की आराजियात नक्शे में रिकार्ड खाते से अधिक नक्शे में तरमीम कर दी और प्रार्थिया के नक्शे को रकबे के मुकाबले कम अंकित कर दिया गया, जबकि प्रार्थिया का मौके पर कब्जा रकबे अनुसार बराबर ही है। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थिया ने उसकी आराजी का नक्शा राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार सही तरमीम किये जाने का अनुरोध/निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:36 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामील होकर पुनः प्राप्त नहीं होने के कारण अखबार में साया करने के आदेश जारी किये गये। प्रतिवादीगणों को जरिये एक समाचार पत्र (दैनिक नवज्योति दिनांक 03.09.2023)के माध्यम से सूचना पत्र तलब किया गया। बावजूद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे इसलिए प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही सम्पादित की गई। भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेडा से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थिया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के नाम दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा तरमीम करवाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं वर्तमान राजस्व रेकार्ड मौजा बोराखेडी की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 330 में आराजी नम्बर 849 रकबा 0.95 हैक्टेयर भूमि श्रीमती सीताबाई पत्नि भंवरलाल ब्राह्मण निवासी बोराखेडी के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार खाता संख्या 209 में आराजी नम्बर 930 / 850 रकबा 0.19 हैक्टेयरकिस्म आबादी प्रयोजनार्थ श्री मांगीलाल पिता कालु भील सा. कुरेठा तहसील भदेसर एवं खाता संख्या 364 में आराजी नम्बर 927 / 850 रकबा 0.21 हैक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ श्री हेमराज पिता बाबरू मीणा के नाम दर्ज होकर अकृषि प्रयोजनार्थ आबादी प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है। वर्तमान में प्रार्थिया श्रीमती सीताबाई पत्नि भंवरलाल ब्राह्मण के राजस्व रेकार्ड में दर्ज आराजी नम्बर 849 रकबा 0.95 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शा में दर्ज अनुसार का क्षेत्रफल (रकबा बरारी) ज्ञात करने पर रकबा कमी होकर लगभग 0.83 हैक्टेयर ही बैठता है। इसी प्रकार पडौसी वर्तमान आराजी नम्बर / रकबा 927 / 850 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 930 / 850 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 929 / 850 रकबा 0. 24 हैक्टेयर, 931 / 850 रकबा 0.15 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 850 रकबा 0.04 हैक्टेयर (गे.मु.रास्ता) कुल किता 5 रकबा 0.83 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है। उक्त सभी आराजी का क्षेत्रफल (रकबा बरारी) ज्ञात करने पर अधिक रकबा लगभग 0.96 हैक्टेयर बैठता है। मौके पर उपस्थित मोतबिरानों व पडोसी खातेदारों के बताये अनुसार व मौके पर काबिज नजरी नक्शा में दर्शायें अनुसार आराजी नम्बर 927 / 850 व 930 / 850 का उत्तरी भाग आराजी नम्बर 849 में सम्मिलित किया जाकर मौके पर पत्थर की कोट बनी हुई है जो कि लगभग 30–40 वर्षो पूर्व से ही प्रार्थिया काबिज काश्त है।

3. मौके पर काबिज अनुसार प्रार्थिया की आराजी नम्बर 849 के पूर्वी दिशा में आराजी नम्बर 927 / 850, 930 / 850 का उत्तरी भाग नजरी नक्शा पर्चा मौका में दर्शाये अनुसार उत्तरी भाग प्रार्थिया के हिस्से में शामिल कर तरमीम करने पर प्रार्थिया का राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबा 0.95 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में कुल रकबा सही बनता है। और इसी प्रकार आराजी नम्बर 927 / 850 व 930 / 850 का उत्तरी भाग नजरी नक्शा अनुसार तरमीम कर शेष भाग का रकबा राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबा 927 / 850 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 930 / 850 रकबा 0.19 हैक्टेयर अनुसार सही बनता है। इस प्रकार मौके पर काबिज अनुसार प्रार्थिया की आराजी नम्बर 849 में आराजी नम्बर 927 / 850 व 930 / 850 का उत्तरी भाग पर्चा मौका में नजरी नक्शा व वर्तमान राजस्व नक्शा में संशोधित प्रस्तावित तरमीम [illegible] प्रतिवादी खातेदारों की आराजी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबा में कोई [illegible] नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:36 IST
Reason: SelfAttested

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

136. Correction of errors. *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights*

or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। हम तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। हम तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। तहसीलदार, निम्बाहेडा ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थिया की खातेदारी आराजी नम्बर 849 में पडोसी खातेदारों की आराजी नम्बर 927 / 850 एवं 930 / 850 के उत्तरी भाग को मिलाने पर प्रार्थिया की आराजी 849 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा सम्पूर्ण 0.95 हो जायेगा। साथ ही पडोसी की आराजी नम्बर 927 / 850 एवं 930 / 850 का वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबा क्रमश 0.21 हैक्टेयर एवं 0.19 हैक्टेयर जो कि वर्तमान नक्शे की रकबा बरारी में अधिक आ रहा है वो भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार सही हो जायेगा। अतः प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार ग्राम बोराखेडी, पटवार मण्डल बडोली माधोसिंह में प्रार्थिया की आराजी नम्बर 849 में आराजी नम्बर 927 / 850 एवं 930 / 850 के उत्तरी हिस्से को शामिल करते हुए नक्शें में तरमीम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:36 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा